UPSB010023712026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्लू0) सोनभद्र

पीठासीन अधिकारी–**विपिन कुमार–III** (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP-6486

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1046 / 2026

रिंकू बउम्र 20 वर्ष पुत्र सुलाब, निवासी जमगांव, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

...

आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–250 / 2026,
धारा–64(1), 74, 115(2), 333, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता
थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

05.06.2026:–

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक / अभियुक्त रिंकू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–250 / 2026, अन्तर्गत धारा–64(1), 74, 115(2), 333, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक / अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जिला कारागार, सोनभद्र में निरूद्ध है।

2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांकित 01.06.2026 द्वारा इस न्यायालय को निस्तारण हेतु अन्तरित किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा / पीड़िता ने थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र में मुख्य रूप से इस कथन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 28.03.2026 को समय 8 बजे रात्रि अभियुक्त रिंकू उसकी अनुपस्थिति में उसके घर में घुसा और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगा। अभियुक्त शराब के नशे में था। प्रार्थी के घर आकर पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा गाली गलौज व मारपीट की गई। अभियुक्त द्वारा जान से मारने की भी धमकी दी गई।

4. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियोजन कथानक गलत, मनगढ़न्त एवं सत्यता से परे है। वादी तथा उसकी औरत का काम दूसरे लोगों को गलत ढंग से फंसाने का है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी को बिना किसी आधार के गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त कायम किया गया है। प्रार्थी अपनी जमानत मुचलिका देने के लिए तैयार है। उक्त आधार पर आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र के आलोक में संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी। प्राप्त आख्या पत्रावली में संलग्न है।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। मामले का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

7. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में धुत्त होकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई है।

Digitally signed by VIPIN KUMAR
Date: 2026.06.05 13:24:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

पीड़िता एक शादीशुदा महिला है तथा तीन बच्चों की मां है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता की इज्जत को तार–तार करने का प्रयास किया गया है व वादी द्वारा उक्त कृत्य के बाबत पूछे जाने पर उसके साथ मारपीट व गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को भी मारा पीटा गया है। इस प्रकार मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गई।

8. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

9. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपित रूप में दिनांक 28.03.2026 की आपराधिक घटना बताई गई है। वादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बीएनएसएस में कथन किया गया है कि दिनांक 28.03.2026 को रात्रि 08 बजे वह अपने तीन बच्चों के साथ सोई थी तथा उसके पति काम से बाहर गए थे कि बगल का रिन्कू शराब के नशे में उसके घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो वह उसका मुंह बन्द कर दिया और बोला कि किसी से बताओगी तो तुम्हें व तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। धारा–183 बीएनएसएस के बयान में पीड़िता द्वारा कथन उपरोक्त कथनों को दोहराया गया है। वादी की पुत्री पारो द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि दिनांक 28.03.2026 को रात में जब वह अपनी मम्मी के साथ सो रही थी तो पड़ोस का रिन्कू उनके घर में आ गया और उसकी मम्मी के साथ गलत काम किया। पीड़िता को मेडिकल परीक्ष दिनांक 01.04.2026 को किया गया है, जिसमें पीड़िता को कुल चार चोटें आना अंकित है, जोकि कठोर व कुन्द वस्तु से कारित की गई हैं तथा चार से पांच दिन पुरानी हैं। स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।

10. उपरोक्त सम्प्रेक्षण के आलोक में अभियुक्त द्वारा कारित आपराध एक गंभीर अपराध की श्रेणी का है, जोकि एक महिला के विरुद्ध किया गया है। अतएव अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

–:आदेश:–

अभियुक्त **रिंकू** का जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–250/2026, अन्तर्गत धारा–64(1), 74, 115(2), 333, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के मामले में **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–05.06.2026

(विपिन कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
(एफ0टी0सी0)(सी0ए0डब्ल्यू0)
सोनभद्र
I.D. No.- U.P. 6486